

संख्या: 14/17/31
तिथि: 27/11/2023
पावती समय: 10:15 PM

अतारांकित प्रश्न

विषय :- खेतों में पाइपलाइन डालने हेतु प्रावधान बारे |
मंत्री:- श्री मनोहर लाल
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-
प्राथमिकता, यदि कोई हो:- 2

प्रेषक: श्री शीशपाल सिंह केहरवाला(42), सदस्य

सेवा में:
सचिव
हरियाणा विधान सभा
Delhi-1

महोदय,
अतारांकित प्रश्न
सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बताएं कि :

श्रीमान जी,

क.) एक खेत से दूसरे खेत में पाइपलाइन ले जाने हेतु क्या प्रावधान है |

ख.) अगर बीच में आने वाले खेतों द्वारा इस प्रकार की पाइपलाइन को रोका अथवा क्षति की जा जाती है तो उक्त दोषियों पर कार्रवाई हेतु क्या प्रावधान है |

ग.) इस प्रकार की पाइपलाइन हेतु जिले में संबंधित अधिकारी किसे माना गया है और आवेदन देने के बाद कितने समयसीमा में विभाग द्वारा परमिशन दी जानी चाहिए |

भवदीय
श्री शीशपाल सिंह केहरवाला(42)
सदस्य
27/11/2023 10:15 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE